

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14169/2023

मनीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री गौरी शंकर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी
मकान संख्या 32 फरसाट , झांसी।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राम किशन नागर पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम पोस्ट पछाड़ ,
तहसील छीपाबड़ौद , जिला बारां (राज.)
2. सत्य नारायण पुत्र श्री रामकिशन, निवासी ग्राम पोस्ट पछाड़,
तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)
3. रामनरेश पुत्र श्री रामकिशन, निवासी ग्राम पोस्ट पछाड़, तहसील
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)
4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर।
5. निहाल सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह बुंदेल , निवासी ग्राम पोस्ट बसी ,
थाना जखौरा , जिला ललितपुर (उ.प्र.)।

-----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14170/2023

मनीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री गौरी शंकर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी
मकान संख्या 32 फरसाट , झांसी।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. छीतर लाल पुत्र श्री लालजी, निवासी ग्राम पोस्ट देवरी गोद, तहसील छीपा बड़ोद, जिला बारां (राज.)।
2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर.
3. निहाल सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह बुंदेल ठाकुर, निवासी ग्राम पोस्ट बसी, थाना जखौरा, जिला ललितपुर (उ.प्र.)।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14171/2023

मनीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री गौरी शंकर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मकान नं. 32 फरसाट, झाँसी।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. बद्री बाई पत्नी श्री छीतर लाल, निवासी ग्राम पोस्ट देवरी जोड़, तहसील छीपा बड़ोद, जिला बारां (राज.)।
2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर.
3. निहाल सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह बुंदेल ठाकुर, निवासी ग्राम पोस्ट बसी, थाना जखौरा, जिला ललितपुर (उ.प्र.)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14172/2023

मनीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री गौरी शंकर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मकान संख्या 32 फरसाट, झाँसी।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रेम लता पत्नी स्वर्गीय श्री घासी लाल, निवासी गौतम के सामने कृषि सेवा केन्द्र पंचायत समिति , छापबडोद , जिला बारां (राज.)।
2. दुर्गा प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री घासी लाल, निवासी गौतम कृषि सेवा केन्द्र के सामने पंचायत समिति, छापबडोद, जिला बारां (राज.)।
3. गजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री घासी लाल, निवासी गौतम के सामने कृषि सेवा केन्द्र पंचायत समिति , छापबडोद , जिला बारां (राज.)।
4. प्रदीप पुत्र स्वर्गीय श्री घासी लाल, निवासी गौतम के सामने कृषि सेवा केन्द्र पंचायत समिति , छापबडोद , जिला बारां (राज.)।
5. सत्येन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री घासी लाल, निवासी गौतम कृषि सेवा केन्द्र के सामने पंचायत समिति, छापबडोद, जिला बारां (राज.)।
6. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर.
7. निहाल सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह बुंदेल , निवासी ग्राम पोस्ट बसी , थाना जखौरा , जिला ललितपुर (उ.प्र.)।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री पंकज गुप्ता, श्री नमन यादव
 प्रतिवादी के लिए : श्री वीरेंद्र अग्रवाल, श्री संतोष सोनी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश**03/04/2024**

1. ये चारों याचिकाएं सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज किए जाने से व्यथित होकर दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर इस आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि तथ्य और कानूनी मुद्दा एक ही हैं।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 22.08.2003 को एक दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए। पंजीकरण संख्या MP07B0771 वाली बस (जिसे आगे 'अपराधी वाहन' कहा जाएगा) ही अपराधी वाहन थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण बांदीकुई , जिला दौसा (जिसे आगे 'अपराधी' कहा जाएगा) के समक्ष पाँच दावा याचिकाएँ दायर की गईं। एक दावा याचिका जिला भरतपुर में दायर की गई । याचिकाकर्ता अपराधी वाहन का पंजीकृत स्वामी है। बांदीकुई में दायर पाँच दावा याचिकाओं में से चार याचिकाओं में दावे स्वीकार कर लिए गए, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।
3. दिए गए दावे के संबंध में कोई विवाद नहीं है। मुख्य विवाद बीमाकर्ता को दिए गए वसूली अधिकार के संबंध में है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बांदीकुई, दौसा में दायर दावा याचिकाओं की कोई सूचना याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। याचिकाकर्ता को भरतपुर में दायर दावे की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस वैध पाया गया और कोई वसूली अधिकार नहीं

दिए गए। तर्क यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस रिकॉर्ड और आरोप पत्र का हिस्सा था, फिर भी न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता को वसूली के अधिकार दिए।

6. बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने विवादित निर्णय का बचाव किया और कहा कि उचित सेवा थी और याचिकाकर्ता को अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस भेजे गए थे।

7. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को उनकी सक्षम सहायता से सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।

8. इन सभी मामलों में तीन दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु और चोटों के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। किसी भी पक्ष द्वारा दी गई राशि के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है।

9. याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, दिनांक 13.12.2006 को जारी कुर्की वारंट प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता को एकपक्षीय निर्णय और प्रदत्त वसूली अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई। 08.01.2007 को याचिकाकर्ता ने एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया। 28.03.2007 को उठाई गई आपत्ति पर, प्रत्येक मामले में अलग-अलग आवेदन दायर किए गए।

10. भरतपुर और बांदीकुई न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णयों में विरोधाभास है। भरतपुर न्यायाधिकरण ने ड्राइविंग लाइसेंस को वैध माना, जबकि बांदीकुई न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए वसूली के अधिकार दिए कि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस विसंगति को दूर करने के लिए, न्याय के हित में यह उचित होगा कि विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाए और वाहन के चालक और मालिक से दावा राशि वसूलने के अधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए चारों दावा याचिकाओं को बहाल कर दिया जाए।

10. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि दावे के अधिकार और मात्रा के मुद्दे को नहीं छुआ जा रहा है। आगे की देरी से बचने के लिए, पक्षकारों को 13.03.2024 को न्यायाधिकरण, बांदीकुई के समक्ष प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने दें।

12. याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अवनीश झिंगन) ,जे

चंदन / रिया/73-76

रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह

किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी